



समाहरणालय, सीतामढ़ी।
(खनन प्रशाखा)

पत्रांक 1375/खनन, सीतामढ़ी।

दिनांक: 12/09/ 2024

दूरभाष : 06226-250439 (O)

06226-250405 (R)

06226-254516, 250535 (F)

ई-मेल : dm-sitamarhi.bih@nic.in

प्रेषित,

श्रीमती पूनम देवी
पति-श्री सुबोध झा
ग्राम-वार्ड नं०-03 बधनाहा पूर्वी
पो०-बधनाहा जुझारपट्टी
थाना-बधनाहा
जिला-सीतामढ़ी 843302

विषय:- सीतामढ़ी जिलान्तर्गत यूनिट-01 (जमला घाट, घुरघुरा घाट एवं सिरिसियन घाट) की बन्दोबस्ती हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृतादेश निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिह्नित बालूघाट यूनिट-01 (जमला घाट, घुरघुरा घाट एवं सिरिसियन घाट) की ई-नीलामी eproc2 के माध्यम से दिनांक 30.08.2024 को निविदा मूल्यांकन समिति की उपस्थिति में कराई गई। जिसमें आपके द्वारा बालूघाट की न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि ₹ 43,51,500/- (तीतालिस लाख इकावन हजार पाँच सौ रुपये मात्र) के विरुद्ध ₹ 56,56,950/- (छप्पन लाख छप्पन हजार नौ सौ पच्चास रुपये मात्र) की उच्चतम बोली लगाई गयी। निविदा दस्तावेज के शर्त की कड़िका सं०-20(ii) के अनुसार नीलामी के उच्चतम राशि का 25% प्रतिभूति राशि (अग्रधन राशि को समायोजित करते हुए) कुल 14,14,238/- (चौदह लाख चौदह हजार दो सौ अड़तीस रुपये मात्र) रुपये जमा करने के उपरान्त आपको यह सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है, निम्नलिखित शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में सैद्धान्तिक स्वीकृति रद्द समझा जाएगा।

1. बालू खनन क्षेत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :-

यूनिट	घाट का नाम	घाट का नाम एवं नदी का नाम	Area (Hectare)	Latitude	Longitude
01	जमला घाट	जमला घाट (बागमती नदी)	8.59	26°44'23.95"N	85°20'15.12"E
				26°44'21.98"N	85°20'21.69"E
				26°44'5.54"N	85°20'13.54"E
				26°44'6.39"N	85°20'8.11"E
	धुरधुरा घाट	धुरधुरा घाट (अधवारा समूह)	0.50	26°46'30.37"N	85°35'42.03"E
				26°46'31.04"N	85°35'43.70"E
				26°46'28.82"N	85°35'45.74"E
				26°46'28.00"N	85°35'43.82"E
	सिरिसियन घाट	सिरिसियन घाट (अधवारा समूह)	0.58	26°39'29.95"N	85°35'48.71"E
				26°39'30.61"N	85°35'50.40"E
				26°39'26.19"N	85°35'51.03"E
				26°39'25.59"N	85°35'49.79"E
02	खनन योग्य मात्रा			58020M ³	

पूनमदेवी

PUNIT LAL MAHTO

Punit

ROP

2. भुगतान की शर्तें:-

- नीलामी राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके अनुक्रमी वर्षों में बंदोबस्ती की राशि गत वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित निदेशों के अनुरूप होगा।
- प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त बंदोबस्तधारी निम्नलिखित समय सारणी/भुगतान अनुसूची के अनुसार बंदोबस्ती की राशि का भुगतान करेगा :-

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त (50%)	(क) पट्टा सविदा निष्पादन से पहले (पहले वर्ष के लिए) (ख) प्रथम वर्ष में पट्टा सविदा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा किया जायेगा।
द्वितीय किस्त (25%)	03 महीना पूरा होने से पहले।
तृतीय किस्त (25%)	06 महीना पूरा होने से पहले।

प्रत्येक समानुदान वर्ष में बंदोबस्तधारी द्वारा पहली किस्त के भुगतान के समय दूसरी और तीसरी किस्तों की राशि के लिए पोस्टडेटेड चेक संबंधित सनाहत्ता, सीतामढ़ी के समक्ष जमा की जायेगी। यदि किस्तों के भुगतान करने में बंदोबस्तधारी असफल होता है तो आगे ई-चालान सिस्टम द्वारा बंद कर दिया जाएगा और केवल अग्रिम भुगतान कर दिये जाने के बाद ही खोला जाएगा एवं इसके लिए किसी तरह के क्षतिपूर्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

- GST का भुगतान**—बंदोबस्तधारी को जी0एस0टी0 के रूप में प्रचलित दर के अनुसार राशि वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करना होगा। जिला खनन कार्यालय, सीतामढ़ी में जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा।

- आयकर/अन्य करों का भुगतान**—बंदोबस्तधारी को आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार एक मुश्त करना होगा। यह राशि बंदोबस्ती राशि के प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी। जिला खनन कार्यालय, सीतामढ़ी द्वारा यह राशि आयकर मद में जमा करा दी जायेगी।

- जिला खनिज फाउण्डेशन**—सफल डाकवक्ता को बंदोबस्ती राशि की 2 प्रतिशत राशि जिला खनिज फाउण्डेशन को जिला खनिज फाउण्डेशन, सीतामढ़ी के पदनाम से भुगतान कर देना होगा। जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली, 2018 के अनुसार करना होगा।

- सफल निविदादाता के चयन के बाद की औपचारिकताएँ**:-

- विभागीय अधिसूचना सं0-1731/एम0, पटना, दिनांक 10.05.2024 द्वारा बालूघाटों की बन्दोबस्ती क्रम में नीलामी के उपरान्त सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश निर्गत करने से एकरारनामा निष्पादन तक प्रत्येक स्तर की कार्रवाई के लिए निम्न प्रकार समय-सीमा निर्धारित की गयी है, निर्धारित समय-सीमा का दृढ़त पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है इस संबंध में सफल डाकवक्ता द्वारा जानबूझकर विलंब करने की स्थिति में प्रतिभूति राशि जब्त करने एवं स्वीकृत्यादेश प्रतिसंहृत करने की कार्रवाई की जाएगी।

- ई-नीलामी सन्पादन के अधिकतम 05 (पाँच) दिन के अंदर सफल डाकवक्ता द्वारा उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के रूप में भुगतान किया जाएगा।

पुनम देवी

PUNIT LAL MAHTO
Punit

RQP

- ii. प्रतिभूति राशि प्राप्त होते ही संबंधित समाहर्ता द्वारा अधिकतम 03 (तीन) दिन में सैद्धांतिक स्वीकृत्वादेश (LOI) निर्गत किया जाएगा।
- iii. सैद्धांतिक स्वीकृत्वादेश (LOI) निर्गत करने के अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर बंदोबस्तधारी द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हित व्यक्ति/संस्थान से खनन योजना तैयार कराकर विभाग में अनुमोदन हेतु समर्पित किया जाएगा।
- iv. प्राप्त खनन योजना को अधिकतम 07 (सात) दिनों के अन्दर अन्तर विभागीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- v. सफल डाकवक्ता द्वारा खनन योजना अनुमोदन के अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए SEIAA के समक्ष प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा।
- vi. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के क्रम में सफल डाकवक्ता द्वारा सभी अपेक्षित कार्रवाई ससमय की जा रही है, इससे संबंधित प्रतिवेदन नियमित रूप से संबंधित समाहर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा।
- vii. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के अधिकतम 07 (सात) दिनों के अन्दर सफल डाकवक्ता द्वारा CTE/CTO प्राप्त के लिए आवेदन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद को समर्पित किया जाएगा।
- viii. सफल डाकवक्ता CTE/CTO प्राप्त होने के अधिकतम 03 (तीन) दिनों के अन्दर प्रथम किस्त का भुगतान अन्य देय राशि के साथ किया जाएगा एवं सभी वैधानिक स्वीकृति के साथ एकरारनामा निष्पादन के लिए जिला समाहर्ता के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- ix. सभी राशि एवं एकरारनामा के साथ वैधानिक स्वीकृति समर्पित करने के अधिकतम 03 (तीन) दिनों के अन्दर जिला समाहर्ता द्वारा एकरारनामा का निष्पादन किया जाएगा एवं खनन कार्य की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- x. एकरारनामा निष्पादन के अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर बंदोबस्तीधारी द्वारा इसका निबंधन कराया जाएगा।

7. वैधानिक अनापत्ति-बालूघाट संचालन हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनापत्ति/अनुमति (जैसे-खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, जल एवं वायु सहमति आदि सफल डाकवक्ता द्वारा प्राप्त की जाएगी। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही बालू खनन प्रारंभ किया जा सकेगा। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति के बिना अथवा वैधानिक अनापत्ति/अनुमति में अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा या निर्धारित क्षेत्र से बाहर खनन किए जाने की दशा में सुसंगत नियमों के अनुसार संबंधित सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी पर कार्रवाई की जाएगी। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति निम्नानुसार है:-

- i. खनन योजना-खनन योजना प्रभावी नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा QCI/NABET से मान्यता प्राप्त Professional RQP से तैयार कर

पूनमदेवी

PUNIT LAL MAHTO

Punit

RQP

निदेशक, खान या विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष लेटर ऑफ इंटेंट निर्गत होने से दिनों के अन्दर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। खनन योजना बनाने पर होने वाले व्यय को वहन संबंधित खनिज डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा किया जायेगा। साथ ही खनन योजना की जाँच हेतु समाहर्ता/विभाग अन्य ऐजेंसी चयनित कर सकेगा, जिसका निर्धारित फीस/खर्च भी बंदोबस्तधारी को ही वहन करना होगा। सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना के अनुसार खनन करना सुनिश्चित करेंगे।

ii. पर्यावरणीय स्वीकृति:- सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना अनुमोदन के 15 दिनों के अन्दर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के लिए प्रस्ताव समर्पित करेगा। समयबद्ध रीति से पर्यावरणीय एवं अन्य वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करना सफल डाकवक्ता की जिम्मेवारी होगी। अपेक्षित पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की देरी के लिए सफल डाकवक्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

iii. जल एवं वायु सहमति:- पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात सफल डाकवक्ता अधिकतम 07 (सात) दिवस के अंदर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन सक्षम पदाधिकारी के समक्ष सहमति/Consent to Establish/Consent to Operate प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

iv. खनन के लिए अनुमत मात्रा:- खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्राप्त सहमति में वर्णित बालू की मात्रा (इनमें से जो भी कम हो) तक ही खनन योग्य होगा। यदि अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं वायु सहमति में खनन योग्य मात्रा कम किये जाने पर भी वार्षिक देय बंदोबस्ती राशि किसी स्थिति में कम नहीं की जायेगी।

v. विभागीय पत्रांक संख्या-5169/एम0, दिनांक-12.10.2022 के द्वारा जल एवं वायु सहमति में खनन योग्य मात्रा 60% ही खनन योग्य मात्रा लेकर गणना करने का आदेश प्राप्त हुआ है। तदनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा संशोधित खनन योग्य मात्रा के अनुरूप न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि निर्धारित कर कार्यालय के पत्रांक संख्या-1387/एम0, दिनांक 05.11.2022 द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग को अनुमोदन हेतु अनुरांसा की गई है। अगर भविष्य में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा अनुशंसित राशि में कोई भी बदलाव किया जाता है। तद् अनुरूप सभी राशि में बदलाव करने का अधिकार जिला स्तरीय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

vi. बिना किसी वैध कारण के पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish/Consent to Operate/जल एवं वायु सहमति प्राप्त नहीं कर पाते हैं या प्राप्त करने में रुचि नहीं लेते हैं तो, समाहर्ता द्वारा अग्रघन राशि जप्त कर पुनः निलामी की कार्यवाई की जाएगी

पूजा देवी

PUNIT LAL MAHTO
Punit

RQP

8. बंदोबस्ती विलेख/पट्टा सविदा (डीड) निष्पादन करना:-

i. सफल डाकवक्ता द्वारा सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त 5 वर्षों की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु समानुदान/बंदोबस्ती स्वीकृत किया जाएगा। सफल डाकवक्ता विहित प्रपत्र में संबंधित नियमानुसार बंदोबस्ती विलेख अथवा उसके समरूप एक प्रपत्र कार्य आरंभ करने के पहले, निष्पादित करेगा तथा यथा विहित अपेक्षित प्रतिभूति राशि जमा देगा। बंदोबस्तधारी के पट्टे की अवधि विलेख/सविदा निष्पादन की तिथि से पाँच वर्षों के लिए विधिमान्य होगा।

ii. बंदोबस्तधारी को निष्पादित सविदा का निबंधन संबंधित विभाग के प्रचलित नियमों के अधीन 01 माह के अन्दर कराना अनिवार्य होगा।

9. बालू खनन की अनुमति:- बंदोबस्तधारी को सभी अपेक्षित वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने, अपेक्षित किस्त का भुगतान करने एवं पट्टा सविदा निष्पादन के बाद बालू खनन की अनुमति दी जाएगी।

10. बालू का विक्रय मूल्य:- अंतिम उपयोगकर्ता अथवा आम जन हेतु बालू का मूल्य बाजार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। लेकिन लोकहित में समाहर्ता/खनन विभाग निलामी राशि अन्य खर्च, बंदोबस्तधारी का लाभ का अंतर इत्यादि को ध्यान में रखते हुए विक्रय दर निर्धारित कर सकेगा।

11. बालू खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र:- बालू खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र प्रभावी नियमों के अनुसार होंगे।

12. (क) बालू खनन की अधिकतम गहराई:-

नदी तल में खनन की अधिकतम गहराई उस समय बिना खुदाई वाले तल स्तर से 3 मीटर अथवा जल स्तर जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। लेकिन जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में सृजित बालूघाटों के लिए प्रतिवेदन में उल्लेखित गहराई को मान्य किया जायेगा। उत्खनन के दौरान विनिर्मित सभी ऐसे गड्ढे नियमित आधार पर भर दिये जाएंगे।

(ख) खनन योग्य मात्रा में वृद्धि:-

जिन बालूघाटों से बालू खनन 03 मीटर से कम अनुमान्य है, उन बालूघाटों के लिए भूमि में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं राज्य पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण (सिया) द्वारा खनन योग्य गहराई 03 मीटर तक अनुमान्य किये जाने की स्थिति में खनन योग्य मात्रा में वृद्धि के अनुसार बंदोबस्ती राशि में भी समानुपातिक वृद्धि की जाएगी एवं इसका भुगतान बंदोबस्तधारी को करना होगा।

13. बंदोबस्ती/समानुदान का प्रत्यार्पण:-

i. बंदोबस्तधारी को बंदोबस्ती छोड़ने के पूर्व उस पंचांग वर्ष की सम्पूर्ण बंदोबस्ती राशि जमा करनी होगी। बंदोबस्ती प्रत्यार्पित करने की स्थिति में जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि के साथ-साथ

भुगतान की गई अन्य राशि को जप्त कर ली जायेगी। साथ ही बंदोबस्तधारी के रूप में नि
भंडारण अनुज्ञप्ति भी स्वतः रद्द समझी जाएगी।

- ii. बंदोबस्ती समर्पण के मामले में समाहर्ता द्वारा बकाया भुगतान के लिए 21 दिन का नोटिस देने के बाद भी राशि जमा नहीं करने पर बकाया वसूली के लिए बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग अधिनियम, 1914 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

14. **खनन योजना का हस्तान्तरण :-** किसी भी खनिज समानुदान के समयपूर्व समाप्त किये जाने अथवा प्रत्यार्पित किये जाने की स्थिति में अनुमोदित खनन योजना नये बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी/समानुदानधारी के साथ बंदोबस्ती की स्थिति स्वतः स्थानान्तरित समझी जायेगी।

15. **पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तान्तरण :-** सरकार द्वारा विधि मान्य प्रक्रिया से बंदोबस्ती/अनुज्ञप्ति/समानुदान रद्द किये जाने पर विधिक कार्रवाई या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्यार्पित किये जाने की स्थिति में वैसे खनिज अनुदान/पट्टा/बालूघाट/बालू खण्ड/खदान के लिए स्वीकृत पर्यावरणीय जिस अवधि के लिए पूर्व में निर्गत हो, उसे विधिमान्य ईकाई (Entity) को निर्धारित या विस्तारित अवधि के लिए स्थानान्तरित की जायेगी।

16. **ऑन लाईन बालू पोर्टल-**

(क) बंदोबस्तधारी सभी उपभोक्ताओं (छोटे, मध्यम एवं बड़े) को बालू का विक्रय केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से करेगा। बंदोबस्तधारी द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभागीय पोर्टल पर डाला जाएगा। बंदोबस्तधारी को विभागीय पोर्टल/मोबाईल ऐप पर प्रतिदिन का खनन, भंडारण का ब्यौरा अद्यतन करना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर ई-चालान बंद किया जा सकता है।

(ख) बालू डोने वाले सभी वाहन बालू के परिवहन के लिए आवश्यक रूप से ई-चालान की प्रिंटेड प्रति साथ रखेंगे। सफल डाकदस्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा बालूघाटों से बालू परिवहन के प्रयोजनार्थ अवैध, अनिबंधित या अनाधिकृत वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा। उत्लंघन की स्थिति में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत जुर्माना की वसूली की जाएगी।

17. **डिसिल्टिंग का जिम्मा लेने हेतु सरकार का अधिकार-** नदी का प्रवाह, बाँधों की सुरक्षा तथा जीओ तकनीक एवं जल वैज्ञानिक विचारण के चलते नदियों का परिवेश बनाए रखने के लिए डिसिल्टेशन का अधिकार सरकार अपने पास आरक्षित रखती है। विभाग डिसिल्टिंग प्रक्रिया में निकाले गए बालू के निपटारे के लिए मार्गदर्शन निर्गत करेगी।

18. **बालू-परिवहन विनियमित करने की शक्ति-** अधिसूचना के माध्यम से विभाग, राज्य से अन्य राज्यों में बालू के निर्यात को नियंत्रित कर/रोक सकता है। इस क्रम में विभाग चेक पोस्ट, बैरियर धर्मकांटा इत्यादि अधिष्ठापित कर सकेगा।

यदि विभाग का विचार हो कि विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बालू का परिवहन एवं भंडारण के रोकने की दृष्टि से वैसा करना आवश्यक है तो यह लिखित आदेश द्वारा राज्य के भीतर किसी स्थान या स्थानों पर चेक पोस्ट लगाने या बैरियर स्थापित करने अथवा दोनों के लगाने हेतु निदेश करेगा।

19. पुनर्भरण अध्ययन (Replenishment study):— बंदोबस्तधारी द्वारा मॉनसून के पहले और बाद नदी तल में बालू की मात्रा का पुनर्भरण अध्ययन (Replenishment study) अद्यतन तकनीक का उपयोग करते हुए भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों/एजेंसियों के माध्यम से कराया जाएगा और इसका एक प्रतिवेदन विभागीय पोर्टल पर एवं समाहर्ता को समर्पित करना होगा। विभाग/समाहर्ता द्वारा पुनर्भरण अध्ययन क्रियान्वित किए जाने की दशा में, अध्ययन का खर्च संबंधित बंदोबस्तधारी से वसूल किया जाएगा।

20. जल संसाधन विभाग से अनापत्ति:— किसी बालूघाट से बालू उठाने की दशा में यदि लिंक रोड और बालूघाट के बीच कोई प्राकृतिक जल मार्ग सिंचाई नहर पड़ती हो तो खनिज समानुदान धारक जल संसाधन विभाग की पूर्व अनुमति से बालू के परिवहन के लिए अस्थायी संरचनाएँ खड़ा कर सकेगा। पूर्व अनुमति के लिए ऐसे आवेदन जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता के समक्ष दिए जाएंगे। आवेदन की तिथि के एक माह के भीतर यदि इस संबंध में खनिज समानुदान धारक को कोई विनिश्चय संसूचित नहीं किया जाय तो यह समझा जाएगा कि संबंधित विभाग को इस प्रस्ताव में कोई आपत्ति नहीं है।

21. निगम द्वारा विहित दरों पर खनिजों का क्रय किया जाना:— विभाग द्वारा सभी बंदोबस्तधारी को उत्खनित बालू का 50 प्रतिशत तक, निगम को पिट हेड मूल्य पर विक्रय करने का निदेश दे सकेगा।

22. बंदोबस्तधारी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत SSMGSM- 2016, EMGSM- 2020, बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित), बिहार बालू खनन नीति 2019 (यथा संशोधित) एवं अन्य संगत नियमावली तथा अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।

23. शास्ति:— किसी नियम, शर्त एवं बंधेज के उल्लंघन के लिए बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित), बिहार बालू खनन नीति 2019 (यथा संशोधित) एवं अन्य प्रभावी नियमावली/अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

24. सामान्य शर्तें :-

(i) निविदादाता/सफल डाकबक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा ई-मेल के माध्यम से किया गया पत्राचार ही मान्य होगा।

(ii) बंदोबस्तधारी को बालू के परिवहन हेतु वाहन के चालक को ऑनलाईन ई-चालान (परिवहन चालान) निर्गत करना होगा। उसकी मूल प्रति (प्रिंट आउट) चालक के पास उपलब्ध रहना चाहिए।

- (iii) बन्दोबस्ती लेने के बाद सभी बालूघाटों के लिये बालू के उत्तोलन कार्य में संलग्न सहयोगी व्यक्तियों/प्रबंधकों की सूची, पूर्ण पता एवं फोटो के साथ एक माह के अन्दर समाहर्ता को उपलब्ध कराना एवं पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यदि इसमें कोई बदलाव होता है तो उसकी भी सूची अविलम्ब पोर्टल पर अपलोड/उपलब्ध करायेगे।
- (iv) बंदोबस्तधारी नदी तट से 300 मी० तक बालू का भंडारण कर सकते हैं जिसके लिए किसी प्रकार के भंडारण अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन भंडारण स्थल का Geo Co-ordinate, भंडारण मात्रा का विवरण ऑनलाईन पोर्टल पर देना होगा। नदी तट से 05 किलोमीटर (Aerial distance) के बाद बालू भंडारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति/बंदोबस्तधारी को अलग से भंडारण अनुज्ञप्ति लेना होगा।
- (v) बालू के उत्पादन एवं प्रेषण के लिये पंजी संधारित करनी होगी। बंदोबस्तधारी विहित प्रपत्र में बालू के उत्पादन तथा प्रेषण से संबंधित दैनिक, साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक रूप से विवरणी (रिटर्न) ऑनलाईन पोर्टल पर समर्पित करेगा।
- (vi) बंदोबस्तधारी नदी तट से बालू प्रेषण के बिन्दु पर एक साईनबोर्ड लगाएगा जिसपर बंदोबस्तधारी का नाम एवं पता, बंदोबस्ती की अवधि, स्थानीय मैनेजर का नाम एवं पता तथा बालू का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा। यदि साईन बोर्ड निरीक्षण में नहीं पाया गया तो शास्ति अधिरोपित की जाएगी।
- (vii) बंदोबस्तधारी श्रम विधियों के प्रावधानों के अनुसार आश्रय गृह, पीने का पानी, शिशु गृह (क्रेचेज) तथा फर्स्ट एड किट की व्यवस्था संबंधित बालूघाटों में लगे श्रमिकों के लिए करेगा।
- (viii) बंदोबस्तधारी संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा तथा स्वयं/अथवा अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बालूघाटों का प्रचालन करेगा। किसी रूप में किये गये उपपट्टा (सबलेटिंग) के लिए बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। बालूघाटों/नदी तट तक बालू के परिवहन के प्रयोजनार्थ पहुँच पथ (अप्रोच रोड) का निर्माण बंदोबस्तधारी द्वारा स्वयं अपने कार्य से किया जाएगा।
- (ix) बालूघाट की सुरक्षा की जिम्मेदारी बंदोबस्तधारी की होगी।
- (x) बंदोबस्तधारी द्वारा सतत बालू खनन प्रबंधन मार्गदर्शिका, 2016/2025/प्रमाणित स्वच्छता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप मशीन का प्रयोग किया जाएगा। महिला श्रमिकों से सूर्यास्त के बाद कोई कार्य नहीं लिया जायेगा।
- (xi) बालू लदे सभी वाहनों को तारपोलिन से ढककर बालू का परिवहन करना अनिवार्य होगा।
- (xii) खनिज की अनुपलब्धता, मार्ग व्यवधान, सीमा विवाद इत्यादि से संबंधित कोई व्यवधान अथवा अन्याय्य कारण से उत्तोलन में बाधा उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।



- (xiii) बंदोबस्तधारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /SEIAA द्वारा मॉनसून अवधि (जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर माह में अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति में यथा कथित) में नदी तल से खनन के लिए अधिरोपित रोक, खनिज संसाधनों की अनुपलब्धता, पहुँच पथ में किसी बाधा, सीमा विवाद अथवा उसके किसी अन्य कारण के चलते उत्पन्न किसी समस्या के कारण बालू के उत्पादन/प्रेषण में उत्पन्न अवरोध की दशा में किसी प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
- (xiv) बंदोबस्तधारी वाहनों में सूखा बालू लादने की व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि बालू ढोने वाले वाहनों से सड़क पर पानी नहीं टपके। इसके लिए बंदोबस्तधारी नदी के किनारे से 300 मीटर की दूरी के भीतर बालू लादने के लिए सेकेण्डरी लोडिंग की व्यवस्था करेगा जिसके लिए अपेक्षित बालू जमा करने हेतु किसी लाईसेन्स की आवश्यकता नहीं होगी।
- (xv) बंदोबस्तधारी बंदोबस्त क्षेत्र के भीतर किसी अवैध खनन के लिए जिम्मेदार होंगे और पाई गई किसी शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा बंदोबस्तधारी के विरुद्ध अपराधिक मामला दायर किया जाएगा।
- (xvi) बंदोबस्तधारी समाहर्ता द्वारा बालूघाटों के संचालन के संबंध में लोकहित में जारी निर्बंधनों और शर्तों तथा निदेशों का पालन करेगा।
- (xvii) उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर कारण पृच्छा निर्गत कर बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी।
- (xviii) बंदोबस्तधारी को खनन राजस्व/जीएसटी/आयकर/स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नहीं करने की दशा में 30 दिनों के अंदर कारण स्पष्ट करने हेतु नोटिस दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अंदर बंदोबस्तधारी द्वारा बकाए का भुगतान करने में असफल रहने की दशा में राशि वसूली की कार्रवाई के साथ-साथ बंदोबस्ती रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
- (xix) निविदादाता निविदा में भाग लेने के पूर्व अक्षांश-देशांतर के आधार पर तैयार किये गए नदी में बालूघाट क्षेत्रों में बालू की उपलब्धता, बालू निकासी हेतु परिवहन मार्गों, जल संशोधन विभाग के नदी में प्रतिबंधित क्षेत्रों तथा अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों के आलायक में अक्षांश स्तर से तकनीकी जाँच कराकर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लेंगे। नीलामी के पश्चात् किसी प्रकार का कोई आपत्ति/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (xx) नीलामी हेतु प्रस्तावित बालूघाटों से संबंधित तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं यथा भूमि के अंचल, थाना, मौजा, खाता, खेसरा, रकबा तथा GPS Co-ordinate के संबंध में विवाद/त्रुटि पाए जाने पर संशोधन का अधिकार संबंधित जिला खनन कार्यालय का होगा। बालूघाटों का सीमांकन एवं नियमानुसार निर्धारित आयाम/विशिष्टियों का सीमा स्तंभ का अधिष्ठापन GPS Co-ordinate के अनुसार बालू बंदोबस्तधारी को कराना होगा तथा खनन के क्रम में संधारित कराना बंदोबस्तधारी की जवाबदेही होगी, जिसे RQP/अंचलाधिकारी की उपस्थिति में प्रमाणित कराकर

खनन कार्य कराना होगा। बालूघाटों के निर्धारित क्षेत्र का Reduced Level (RL)/Pre-L (PL) एवं Satellite images मानसून के पूर्व एवं बाद का समर्पित करना होगा।

- (xxd) बालू का विक्रय निबंधित एवं व्यवसायिक वाहन के माध्यम से ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में अनिबंधित एवं बिना वाहन संख्या के (unrealistic vehicle) वाहन से बालू का विक्रय नहीं किया जायेगा। ट्रैक्टर इंजन एवं ट्रॉली दोनों का परिवहन विभाग में निबंधित होने के उपरान्त ही बालू का प्रेषण किया जाएगा। उल्लंघन किये जाने की स्थिति में जमा अग्रधन एवं अन्य राशि जप्त कर ली जायेगी।
- (xxii) बालू बंदोबस्तधारी को बालू लदे भारी वाहनों का परिवहन जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों एवं बांधों पर निर्मित प्रतिबंधित सड़क या परिवहन विभाग द्वारा प्रतिबंधित सड़क/पुल-पुलिया से नहीं करना है।
- (xxiii) बालूघाट में रैयती/बंदोबस्त जमीन होने पर संबंधित रैयत से सहमति प्राप्त कर बालू का खनन करना होगा। यह जिम्मेदारी पूर्णतः बंदोबस्तधारी की होगी एवं विभाग से कोई क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xxiv) बंदोबस्ती समाप्ति के पूर्व नदी तट से 300 मीटर के अन्दर भंडारित बालू को हटा लेना होगा अन्यथा भंडारित खनिज (बालू) सरकार की सम्पत्ति मानकर उसका निष्पादन किया जायेगा।
- (xxv) बंदोबस्तधारी द्वारा भंडारण अनुज्ञप्तिधारियों को भी भुगतान के आधार पर मासिक उत्पादन का 25 प्रतिशत बेचने का निदेश समाहर्ता/विभाग दे सकेगा एवं इसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (xxvi) निकाले गये खनिजों के लिए वार्षिक आधार पर की गई स्वामित्व की संगणना वार्षिक बंदोबस्ती की राशि से अधिक होने पर बंदोबस्तधारी द्वारा निकाली गई अतिरिक्त मात्रा के लिए बंदोबस्ती राशि के अतिरिक्त स्वामित्व का भुगतान करना होगा।
- (xxvii) बंदोबस्तधारी को प्रत्येक सप्ताह खनन स्थल/घाट का कम से कम 4 फोटोसूट्स Geo Co-ordinate के साथ विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- (xxviii) बंदोबस्तधारी को सड़क, परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय भारत सरकार के विशिष्टियों के अनुरूप GPS युक्त वाहन ही प्रयोग करना होगा जिसमें वजन के प्रतिवेदन हेतु Load shell उपकरण लगाना अनिवार्य होगा। सफल डाकयुक्ता/बंदोबस्तधारी परिवहन चालान विभाग में निबंधित वाहनों के लिए ही निर्गत करेंगे, जो GPS युक्त हो एवं जिसकी Tracking हेतु विभागीय पोर्टल पर डाटा शेयर किया जा सके।
- (xxix) घाट पर ऐसी विशिष्टियों का धर्मकांटा का अधिष्ठापन बंदोबस्तधारी द्वारा स्वयं अपने खर्च पर किया जाएगा, जिसका Real time data विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति का दावा खान एवं भूतत्व विभाग के उपर मान्य नहीं होगा।

- (xxx) स्रोत से गंतव्य की दूरी के GPS Data के अनुसार ई-चालान की वैधता अवधि को विभाग बदल/कम कर सकता है।
- (xxxi) बंदोबस्तधारी को खनन/भंडारण एवं उनके द्वारा प्राप्त अनुज्ञप्ति स्थल का ड्रोन से Volumetric Analysis प्रतिमाह कराकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विभाग/समाहर्ता द्वारा किसी एजेंसी से कराया जाता है, तो उस पर हुए व्यय का भुगतान बंदोबस्तधारी को करना होगा।
- (xxxii) बंदोबस्तधारी के Login से निर्गत ई-चालान एवं जमा रिटर्न को माना जायेगा कि बंदोबस्तधारी के किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जाँच कर लिया गया है।
- (xxxiii) सर्वर मेन्टेनेन्स या विधि व्यवस्था हेतु ई-चालान बन्द किया जा सकता है एवं इस अवधि हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
- (xxxiv) बंदोबस्तधारी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति क्षेत्र से बाहर न स्वयं खनन करना है और न ही किसी को करने देना है। संबंधित बालूघाट से 100 मीटर की परिधि में यदि अवैध खनन पाया जाता है एवं इसकी सूचना यदि बंदोबस्तधारी द्वारा विभाग/संबंधित जिला खनन कार्यालय को नहीं दी जाती है, तो संबंधित बंदोबस्तधारी की संलिप्तता मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई किया जायेगा।
- (xxxv) Google earth pro/Bhuvan software से की गई Monitoring/प्राप्त साक्ष्य मान्य होंगे। इस आधार पर बंदोबस्तधारी के विरुद्ध शास्ति अधिरोपण/अन्य कार्रवाई की जाएगी।
- (xxxvi) बंदोबस्तधारी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति क्षेत्र से बाहर खनन करने, निर्धारित गहराई से ज्यादा खनन करने, पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रावधानों के विरुद्ध खनन करने एवं खनन योग्य मात्रा से अधिक खनन करने की कृत को अवैध खनन माना जाएगा एवं बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के नियम-56 के तहत संबंधित बंदोबस्तधारी के विरुद्ध जुर्माना राशि अधिरोपित की जाएगी। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर जमा अग्रघन की राशि से वसूली की जाएगी।
- (xxxvii) बंदोबस्तधारी द्वारा बालूघाटों से बालू का परिवहन बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं इस संबंध में अन्य अधिसूचित नियम के तहत किया जाएगा। अनियमितता की स्थिति में उपरोक्त नियमावली के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
- (xxxviii) बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती अवधि के दौरान किसी भी कारण से खनन कार्य नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का मुआवजा/नुकसान एवं क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xxxix) ई-नीलामी एवं बालूघाट की बंदोबस्ती अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के अधीन होगा।

- (x) खान एवं मूलत्व विभाग/समाहर्ता आवश्यकता पड़ने पर झोन एवं अन्य अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग करके बालूघाटों का सर्वेक्षण कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बालूघाटों से बालू खनन की पूरी प्रक्रिया प्रचलित नियमों/प्रावधानों के अनुरूप हो रही है।

P
12/4/24.
समाहर्ता,
सीतामढ़ी

